रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 283] नई दिल्ली, शनिवार, जून 27, 1981/आषाढ़ 6, 1903
No. 283] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 27, 1981/ASADHA 6, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 1981

का० आ० 516(अ):—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29 ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भुतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 98(अ) उ० वि० वि० आ० /27/ख/73/1, तारीख 16 फरवरी, 1973 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में मद (3) के नीचे विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि उक्त मद (3) में निर्दिष्ट कोई भी उपक्रम या इस अधिसूचना के उपबंधों के अधीन छूट प्राप्त और यथास्थिति तकनीकी विकास महानिदेशक, वस्त्र आयुक्त लोहा और इस्पात नियंत्रक, जूट आयुक्त या कोयला नियंत्रक के पास रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकरणीय कोई उपक्रम इस अधिसूचना के अधीन छूट का पात्र नहीं होगा यदि उसको अवस्थित करने का या इसका सारभूत विस्तार करने या नई वस्तुओं का विनिर्माण करने की प्रस्थापना निम्नलिखित स्थानों में की जाती है :—

(1) किसी नगर की, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, भारतीय जनगणना 1971 में यथा अवधारित मानक नगर क्षेत्र सीमा के भीतर या–

(2) उक्त जनगणना में यथा अवधारित पांच लाख से अधिक जन संख्या वाले किसी नगर की नगरपालिका सीमा के भीतर।

इस परन्तुक में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार उन उपक्रमों में से ऐसे उपक्रमों को पूर्णतः या ऐसी शर्तों को जिन्हें वह उपयुक्त समझे, अधीन रहते हुए इस परन्तुक की अपेक्षा से छूट दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार की राय में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हुए ऐसी छूट का दिया जाना या शिथिल किया जाना आवश्यक है :—

(क) प्रश्नगत औद्योगिक उपक्रम के मुकाबले में उद्योग की विद्यमान प्रास्थिति,

(ख) औद्योगिक एकक की रुग्णता जिससे बेकारी हो गई है,

(ग) उद्योगों की अवस्थिति के संबंध में सरकारी नीति के मूल उद्देश्यों पर प्रभाव डाले बिना प्रश्नगत औद्योगिक उपक्रमों में कतिपय प्रकार के विस्तार और विविधता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता, और

(घ) अन्य ऐसे कारण जिन्हें केन्द्रीय सरकार सुसंगत समझे।"

[फा० सं० 11/11/80-अनु० नीति०ल०व०]

सु०ला०कपूर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 1981

S.O. 516(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industrial (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S. O. 98(E)|IDRA|29B|72|1, dated the 16th February, 1973, namely :—

In the said notification, under item (3) for the existing second proviso, the following proviso shall be substituted, namely—

"Provided further that no undertaking referred to in item (3) above, or an undertaking exempted under the provisions of this notification and registered or registerable with the Director General, Technical Development, the Textile Commissioner, Iron and Seel Controller, Jute Commissioner or the Coal Controller, as the case may be, shall be eligible for exemption under this notification if it is proposed to be located or if its proposal to affect substantial expansion or to produce a new article is to locate—

(i) within the Standard Urban Area Limit as determined in the Census of India, 1971 of a city having a population of more than one million; or

(ii) within the municipal limits of a city with a population of more than five lakhs, as determined in the said Census.

Notwithstanding anything contained in this proviso the Central Government may grant exemption or relaxation from the requirement of this proviso, wholly or subject to such conditions as deemed fit, to such of those undertakings where, in the opinion of the Central Government, such exemption or relaxation is found necessary, having regard to the following matters :—

(a) The present status of the industry vis-a-vis the industrial undertaking in question,

(b) Sickness in the industrial units leading to unemployment,

(c) Need for encouraging certain types of expansion and diversification of the indusrial undertakings in question without affecting the basic objectives of of Government Policy regarding location of industries, and

(d) Such other factors as the Central Government may consider relevant."

[F. No. 11/11/80-LP]

S. L. KAPUR, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981